न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 36/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

हबीबुनीसा उर्फ पिंकी पत्नी श्री जीतू पंजाबी
बक्शीजी की कोठी, पट्टीकटला, अजमेर
पुलिस थाना कोतवाली अजमेर शहर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 13.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.02.2023 को उर्स मेला के तहत घरेलू गेस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल हबीबुनीसा उर्फ पिंकी पत्नी श्री जीतू पंजाबी, मैसर्स पंजाबी गैस भट्टी सर्विस, बक्शी जी कोठी पट्टी कटला अजमेर पर पहुॅचे। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का गैस रिफिलिंग किया जा रहा था। जॉच के कम में 07 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, 10 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर एवं अवैध गैस रिफिलिंग करने के लिए काम में ली जाने वाली बांसुरी भी मौके पर पायी गई। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए ।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 4 एवं 6 की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर जॉच के कम में 07 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, 10 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर एवं अवैध गैस रिफिलिंग करने के लिए काम में ली जाने वाली बांसुरी को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रायन गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक अयूब खान पुत्र कयूम खान को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	10286	IOC	15.9	16	0.1	Domestic Sylender
2	9913331	IOC	15.8	16	0.2	Domestic Sylender
3	505114	IOC	15.7	15	0.7	Domestic Sylender

जिला कलक्टर
अजमेर

4	118604	IOC	15.8	26	10.2	Domestic Sylender
5	2361	IOC	15.4	15.5	0-1	Domestic Sylender
6	12961	Reliance	16	16	0	Domestic Sylender
7	104130	BPC	8.2	9	0.8	Domestic Sylender
8	05 किग्रा के 10 सिलेण्डर अप्रमाणित जिन पर आईएसआई मार्क निर्माता कंपनी का अंकित नहीं है					

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 07 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, 10 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर एवं अवैध गैस रिफिलिंग बांसुरी को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 01.02.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का गैस रिफलिग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 4 एवं 6 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये जॉच के क्रम में 07 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, 10 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर एवं अवैध गैस रिफिलिंग करने के लिए काम में ली जाने वाली बांसुरी को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच उनके द्वारा जॉच के क्रम में 07 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, 10 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर एवं अवैध गैस रिफिलिंग करने के लिए काम में ली जाने वाली बांसुरी स्थल पर किया जाना अवैध पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जॉच के क्रम में 07 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, 10 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर एवं अवैध गैस रिफिलिंग करने के लिए काम में ली जाने वाली बांसुरी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें । जिला रसद अधिकारी अजमेर अप्रामणित सिलेण्डरो एवं बासुंरी का निस्तारण नियमानुसार करावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर